7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 19 संस्करण : उत्तर प्रदेश | उत्तराखंड | हिमाचल | जम्मू-कश्मीर | दिल्ली | हरियाणा | पंजाब | चंडीगढ़

अमर उजाला

नई दिल्ली
बृहस्पतिवार, 15 दिसंबर 2016

amarujala.com

दिव्यांगों के साथ भेदभाव किया तो होगी जेल

निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक राज्यसभा से पास, सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षिक संस्थानों में अब 4% आरक्षण

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

अब दिव्यांगों के साथ किसी तरह का भेदभाव करने पर दो साल जेल की सजा हो सकती है। राज्यसभा में बुधवार को निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 पास हो गया। संसद में लगातार हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक सुर से इसका समर्थन किया। बिल मंजूरी के लिए अब लोकसभा में जाएगा।

यह विधेयक दिव्यांगों की सुरक्षा और अधिकारों में इजाफे से जुड़ा है और 16 नवंबर से संसद सत्र में लटका हुआ था। विधेयक के मुताबिक, दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने वालों को छह महीने से दो साल तक कैद की सजा और 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षिक संस्थानों में अब 4% आरक्षण की भी व्यवस्था होगी।

दो हफ्ते से पंगु संसद में विधेयक के लिए सभी सदस्यों ने दिखाई इच्छाशक्ति

07 से बढ़ाकर 21 श्रेणियां में किया गया निशक्तता के स्वरूप का दायरा

शून्यकाल में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल के नेता गुलाम नबी आजाद, मायावती, सीताराम येचुरी और नरेश अग्रवाल सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने विधेयक तत्काल प्रभाव से पारित कराने की पुरजोर पैरवी की। आजाद और मायावती ने एक सुर में कहा कहा कि सारे काम बाद में होंगे, पहले हमें यह बिल संसद में पास कर देना चाहिए, वह भी बिना बहस के।

सरकार ने भी सहमति जताई और इसे राज्यसभा में पेश कर दिया गया। बिल में कई संशोधन भी थे। इसे पास कराने में समय लगा। लेकिन सभी सदस्यों ने शांति से प्रक्रिया में हिस्सा लिया। सरकार की ओर से कहा गया कि देश में दिव्यांगों की संख्या दो करोड़ 59 लाख है और इन सबका देशव्यापी परिचय पत्र बनेगा। हमने केरल में दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की है।

विधेयक की खास बातें

विधेयक का उद्देश्य निर्धारित मानक के तहत दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण को वर्तमान के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत करना है। इसमें निशक्तता के स्वरूप को वर्तमान में सात से बढ़ाकर 21 करना है जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी शामिल हैं। सरकार के पास इसमें और तरह की निशक्तता को जोड़ने का अधिकार होगा। विधेयक में निशक्त जनों के खिलाफ अपराधों के लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। इसमें निशक्त जनों की सरकारी इमारतों में पहुंच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। विधेयक का उद्देश्य निशक्त जन समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी कानून, 1995 को प्रतिस्थापित करना है।

उनके साथ-साथ: संपादकीय पेज